न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 46 / 18

दायरा दिनांकः– 27.07.2018

पुजाकंवर पुत्री स्व. लिछमणसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. इन्दुकंवर पुत्री देवीसिंह पत्नि हनुमानसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. किशनकंवर पत्नि रूघसिंह जाति राजपुत निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. प्रेमकंवर पत्नि मनोहरसिंह जाति राजपुत निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
5. भंवरसिंह पुत्र बस्तुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र धोंकलसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. सवाईसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
9. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर
11. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. पेरोकार राज प्रतिवादी संख्या 10

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है :– कि वादीनी के पडदादा नारायणसिंह के जीवनकाल के खेत खसरा संख्या 455 चार सौ पचपन तादादी 7.8787 हेक्टेयर, खसरा संख्या 456 चार सौ छपन तादादी 4.8688 हेक्टेयर व खसरा संख्या 428 चार सौ अठाइस तादादी 4.7550 हेक्टेयर भूमि वाके रोही तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। वादीनी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 एक देवीसिंह को उसके पिता स्व. नारायणसिंह की खातेदारी भूमि 1/6 हिस्सा प्राप्त हुई जो वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की पैतृक कोपासर्नरी सम्पति है एंव हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पौत्र पौत्री के जन्म से ही दादा की सम्पति में हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 देवीसिंह की 1/6 हिस्सा की खातेदारी भूमि में वादीनी का 1/18 हिस्सा बन जाता है क्योंकि वादीनी के पिता लिछमणसिह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादीनी एकमात्र पुत्री है। वादगत खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 की 1/6 हिस्सा भूमि में सें वादीनी 1/18 हिस्सा की भूमि काश्त करती आ रही है एवं बहुत ही सौहार्द पूर्व वातावरण था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के बहकावे में आने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बईमानी आ गई। वह वादीनी के साथ झगडा करने लगा तथा वादीनी को उसके 1/18 हिस्सा भूमि को काश्त करने में अडचने पैदा करनी शुरू कर दी। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को बहकाकर प्रतिवादी संख्या 1 से वादगत खेतों में सें 1/6 हिस्सा का विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम से उप पंजीयक कार्यालय बीदासर से पंजीकृत करवाया। वादगत खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18 हिस्सा एवं वादीनी का 1/18 हिस्सा नियत है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगत खेतों में अपना 1/18 हिस्सा भूमि से अधिक यानि वादगत खेतों में अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया जो वादीनी के मुकाबले आरम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इसलिए घोषित किया जावे कि [illegible] हिस्सा की एवं प्रतिवादी संख्या 1 भी 1/18 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 2 भी [illegible] हिस्सा की खातेदार कृषक है तथा विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2018 वादीनी के मुकाबले [illegible] ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है तथा वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खेतों का वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत है जिसकी घोषणा की जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ने विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2018 के आधार पर वादगत खेतों की 1/6 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी जो वादीनी के मुकाबले आरम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि वादगत खेत वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त परिवार की पैत्रिक अविभाजित पुस्तैनी है जिसमें वादीनी का 1/18 हिस्सा नियत है। इसलिए वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीनी के नाम 1/18 हिस्सा की खातेदारी अंकित की जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड को संशोधित किया जावे। वादगत खेतों में वादीनी का 1/18 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा के संयुक्त खातेदार है। वादगत खेतों का ''बाई मिटस एण्ड बाउण्डस'' के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीनी के 1/18 हिस्सा की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सहयोग अन्य प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 कर रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने वादगत खेतों में 1/6 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित करायी है। प्रतिवादी संख्या 2 वादगत खेतों में वादीनी को उनके 1/18 हिस्सा की भूमि से वंचित रखने के लिए अपना 1/6 हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित कराने की कुचेष्ठा में है। प्रतिवादी संख्या 2 ने वादगत खेतों में सें 1/6 हिस्सा को विक्रय करने की बात पक्की कर ली है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने साई भी प्राप्त कर ली है। प्रविवादी संख्या 2 वादगत खेतों में गलत खातेदारी के आधार पर 1/6 हिस्सा भूमि को विक्रय पत्र निष्पादित कराने में सफल हो गई तो वादीनी को अपने 1/18 हिस्सा की भूमि से वंचित होना पडेगा जिससे वादीनी को अपूर्तीय क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जावे की वादगत खेतों का जब तक विधिवत ''बाई मिटस एण्ड बाउण्डस'' के आधार पर विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन, बैय आदि नहीं करे ओर ना ही वादीनी को उसके 1/18 हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल करे ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधायें पैदा करे। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिनांक 15.07.2018 को मौखिक रूप से निवेदन किया की वादीनी के 1/18 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में [illegible] करावे, परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 साफ इनकार हो गये। इसलिए वादीनी को आधार वाद एवं वाद हेतुक प्राप्त है। राजस्थान सरकार वाद मे आवश्यक पक्षकार है इसलिए कानुनी आपतियों का मध्य नजर रखते हुए उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

दावा में प्रतिवादी संख्या 10 दस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। घोषणात्मक वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. का 2 दौ माह की अवधि का कानुनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है एंव राज्य सरकार को दौ माह को नोटिस दिया गया तो समय लगेगा तथा प्रतिवादीगण अपने गलत उदेश्य में सफल हो जायेगें तो वादीनी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वादीनी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से छुट की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ती का है वादगत खेत रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11 बावजुद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज की तरफ से दावा में राजहित नहीं होना अंकित किया है। दावा में किसी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की प्रमाणित प्रति, विक्रय पत्र की छायाप्रति पेश की। जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि पुस्तेनी है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रही ओर इसी कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया है, जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा वादीनी ने वादगत भूमि में अपने नाम 1/18 हिस्सा भूमि दर्ज करने की मांग की है।

बहस वकील वादी की एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने बहस में दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत भूमि वादीनी की पुस्तैनी भूमि है। ओर पुस्तेनी भूमि में वादीनी का 1/18 हिस्सा नियत है। दावा में बावजुद तामिल किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीनी की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवा[illegible] तथा वादगत भूमि वादीनी के दादा के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर [illegible] है। वादीनी [illegible]स्तुत दस्तावेजों से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादीनी की [illegible] भूमि है जिसमें वादीनी का 1/18 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

नियत है। वर्तमान में वादीनी के दादा देवीसिंह ने अपनी 1/6 हिस्सा भूमि सम्पूर्ण को अपनी पुत्री इन्दुकंवर प्रतिवादी संख्या 2 को दान कर दी है, जो अपने हिस्से से ज्यादा भूमि दान की है। अतः वादीनी के दादा देवीसिंह द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा दान की गई भूमि तक दानपत्र अवैध है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीनी का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 455 तादादी 7.8787 हेक्टेयर, खसरा संख्या 456 तादादी 4.8688 हेक्टेयर, खसरा संख्या 428 तादादी 4.7550 हेक्टेयर वाके रोही तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इन्दुकंवर पत्नि हनुमानसिंह हिस्सा 1/6 जाति रावणा राजपुत निवासी तेनदेसर के स्थान पर वादीनी पुजाकंवर पुत्री स्व. लिछमणसिंह हिस्सा 1/18 जाति रावणा राजपुत निवासी सडू बडी व इन्दुकंवर पत्नि हनुमानसिंह हिस्सा 1/9 जाति रावणा राजपुत निवासी तेनदेसर दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। जमाबंदी की शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested